

2021/1563

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

दय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेडाराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 76 में पिता का नाम धीरा अर्जुन सिंह खत्री नाम धीरा कात ही

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी अर्जुन

ताक:- 25/11/21

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेडाराजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 76 में प्रार्थी का नाम अर्जुन धीरा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न रिपोर्ट व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम अर्जुन धीरा कात ही जो संशोधित किया जा उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

अ.नि. अर्जुन
10/12/21

पटवारी अर्जुन
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी अर्जुन व भू0अ0नि0 अर्जुन एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर खेडाराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 76 में प्रार्थी का अर्जुन धीरा के बजाय अर्जुन धीरा कात ही किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(मीलवाड़ा) कड्डा

सं.नं० 1484/21
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खेडाराजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 खाता संख्या 76 में दर्ज प्रार्थी का नाम अर्जुन धीरा के स्थान पर अर्जुन धीरा कात ही संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।



प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (शाहपुरा(मील0))